

दलित साहित्य में अंबेडकर वादी चेतना

देवीदीन चौधरी (शोधार्थी)

तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययन शाला

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश

अब आसमान में आत्म-सम्मान का सूर्य निकल आया है और दमन के बादल छंटने लगे हैं। दलित वर्गों ने हिम्मत दिखानी शुरू कर दी है। अब हम डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आते हैं। वह घटना महाड की ओर कूच करने के बारे में थी। इसकी उत्पत्ति बंबई (अब मुंबई) विधान परिषद के उस महत्वपूर्ण संकल्प में है जिसे एस. के. बोले ने प्रस्तुत किया था और बंबई सरकार ने स्वीकृत किया था। बोले संकल्प, जिसे 1923 में पारित किया गया और जिसकी थोड़े से परिवर्तन के साथ 1926 में पुनः पुष्टि की गई, के अनुसरण में महाड नगरपालिका ने चावदार टैंक को अछूतों के लिए खोल दिया था। तथापि नगरपालिका का संकल्प एक संकेत मात्र रह गया क्योंकि अछूतों ने सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया।

अतः, कोलाबा जिला के दलित वर्गों ने तय किया कि महाड में 19 और 20 मार्च, 1927 को एक सम्मेलन किया जाए। सम्मेलन के नेताओं ने डॉ. अम्बेडकर को सम्मेलन की तिथि की सूचना पूर्व महीने के प्रथम सप्ताह में दे दी थी। सम्मेलन की व्यवस्था सुरेन्द्रनाथ टिपणिस, सूबेदार सावरकर और अनंतराव चित्रे द्वारा सावधानी से की गई। पिछले दो महीनों से कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पास-पड़ोस के सभी स्थानों की पैदल यात्रा की और दलित वर्गों को सम्मेलन के महत्व के प्रति जगाया। इसके परिणामस्वरूप, चारों ओर से पन्द्रह वर्ष के बच्चों से लेकर सत्तर वर्ष के वृद्धों ने अपने कंधों पर रोटी के टुकड़ों वाली पोटलियां लटकाए सौ मील से भी अधिक की दूरी पैदल पार की और महाड पहुंचे। महाराष्ट्र और गुजरात के लगभग सभी जिलों के दलित वर्गों के लगभग दस हजार प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और नेता सम्मेलन में उपस्थित हुए।

डॉ. अम्बेडकर, अर्द्ध-नग्न, व्याकुल और उत्सुक स्त्री-पुरुषों अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने उसे सरल, छोटे और ओजस्वी वाक्यों से आरंभ किया। अपनी आवाज में एक अनोखी उत्तेजना के साथ उन्होंने दापोली, जहाँ उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पाई थी, की स्थितियों का वर्णन किया और कहा कि वे उस स्थान की ओर आकर्षित हुए थे जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था तथा उसके आसपास के रमणीय प्राकृतिक दृश्य से ऐसे स्थान के लिए उसका प्यार और भी बढ़ गया था। उन्होंने अपने बचपन के दिन याद किए और कहा “एक समय ऐसा था जब हम, जिनकी अछूतों के रूप में निंदा की जाती है, उच्च वर्गों से भिन्न अन्य समुदायों की तुलना में शिक्षा में बहुत उन्नत थे, बहुत आगे थे। उस समय देश का यह भाग हमारे लोगों के कार्य और प्रभाव से स्पन्दित हो रहा था।”

इसके बाद उन्होंने प्रेरक स्वर में कहा, “जब तक हम शुद्धिकरण की तिहरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते, तब तक स्थायी उन्नति नहीं की जा सकती। हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, अपने उच्चारणों को फिर से ठीक करना चाहिए और अपने विचारों को पुनः दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। अतः, मैं अब आपसे यह चाहता हूँ कि आप प्रतिज्ञा करें कि आप इस क्षण से सड़ा-गला मांस खाना छोड़ देंगे। समय आ गया है हम अपने मन से ऊँच-नीच के विचार त्याग दें। अब फेंके हुए टुकड़ों को न खाने का संकल्प करें। हमारी आत्म-उन्नति केवल तभी होगी जब हम स्वावलम्बन सीख जाएंगे, अपना आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आत्म-सम्मान पुनः प्राप्त कर लेंगे”। उन्होंने अपने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे सेना, नौसेना और पुलिस में उनके प्रवेश पर लगे सरकारी प्रतिबंध के विरुद्ध आंदोलन करें तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने और शिक्षा पाने का महत्व बताया।

25 दिसम्बर, 1927 को महाद (जिला कोलाबा) में हुए सत्याग्रह सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर एम.ए., पीएचडी, डीएससी, बार-एट-लॉ, एमएलसी, के अध्यक्षीय भाषण का सारांश:

सत्याग्रह समिति, जिसके वे अध्यक्ष हैं, की ओर से सत्याग्रहियों का स्वागत करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने उन्हें पिछली मार्च को उसी स्थान पर हुए सम्मेलन के दुर्भाग्यपूर्ण अंत की याद दिलाई जब चौदार नामक सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के अपराध के लिए उनके बहुत से साथी प्रतिनिधियों के साथ तथाकथित सवर्ण हिन्दुओं द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था और उन पर हमला किया गया था। दलित वर्गों के सदस्यों को तालाब के पानी का उपयोग करने से

किसी ने नहीं रोका परंतु उक्त घटना के बाद कुछ सरगनाओं को सनक सवार हो गई कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों को दंडित किया जाए और उन्होंने भीड़ को भड़काया कि उनपर हमला किया जाए। कुछ अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया, उनको दोषी पाया गया और

उन्हें चार महीने की कैद की सजा हुई। अपना भाषण जारी रखते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा “यदि सवर्ण हिन्दुओं ने तालाब का प्रयोग करने के दलित वर्गों के अधिकार को स्वीकार कर लिया होता, तो यह सत्याग्रह आवश्यक नहीं होता। तथापि, दुर्भाग्यवश, इस विषय पर सवर्ण हिन्दू अपने रुख में जिद्दी हैं और वे सार्वजनिक तालाब, जो मुसलमानों और अन्य गैर-हिन्दुओं सहित सभी जातियों के लोगों के लिए खुला है, का प्रयोग करने के दलित वर्गों के अधिकार को मानने से इंकार करते हैं। स्थिति की विडम्बना यह है कि यद्यपि तथाकथित अछूतों के पशुओं को तालाब पर जाने दिया जाता है, तथापि उनके मालिकों को, जो अन्य लोगों के समान ही अच्छे मनुष्य हैं, तालाब पर जाने की मनाही है।

तथाकथित सवर्ण हिन्दू पंचमस (पांचवे वर्ग, दलित वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति) द्वारा सार्वजनिक तालाब का उपयोग करने के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए नहीं कि वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि यदि महार और अन्य लोग तालाब का उपयोग करेंगे तो उससे पानी खराब हो जाएगा या भाप बन जाएगा, बल्कि इसलिए कि वे जाति की श्रेष्ठता को खोने से और सवर्ण हिन्दुओं तथा दलित वर्गों के बीच समानता हो जाने से डरते हैं। हम इस सत्याग्रह का आश्रय इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम यह मानते हैं कि इस विशिष्ट तालाब के पानी में असाधारण गुण हैं, बल्कि नागरिकों और मानवों के रूप में अपने प्राकृतिक अधिकारों को स्थापित करने हेतु ऐसा कर रहे हैं।

छोटा उद्देश्य अपराध है

कुछ लोग कह सकते हैं कि जाति प्रथा को छोड़कर, केवल अस्पृश्यता के उन्मूलन से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। जाति प्रथा में अंतर्निहित असमानताओं के उन्मूलन की कोशिश किए बिना केवल अस्पृश्यता के उन्मूलन का ही उद्देश्य बहुत छोटा उद्देश्य है। हमें याद रखना चाहिए कि “असफलता नहीं बल्कि छोटा उद्देश्य अपराध है।” हम इस बुराई की जड़ों तक जांच करें और हम अपने दर्द को कम करने वाली बातों से ही संतुष्ट न हों। यदि बीमारी का ठीक तरह से निदान नहीं किया जाए तो उपचार व्यर्थ होगा तथा उसको स्थगित किया जा सकता है।

“न्याय की जीत”

जब पिछली मार्च में, डॉ. अम्बेडकर ने महाद में चौदार तालाब तक अछूतों का नेतृत्व किया तो हिन्दू जाति के रूढ़िवादी वर्ग की भूख और “अपवित्रीकरण” पर नींद उड़ गई तथा गरीब असहाय अछूतों की तालाब से लौटते समय निर्दयता से पिटाई की गई। इसके शीघ्र बाद हुड़दंगियों और उपद्रवियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दायर किया गया तथा उन्हें सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए दंड दिया गया। धर्म के इन तथाकथित “संरक्षकों” द्वारा अछूतों को तालाब के समीप आने का विरोध करने का हर संभव प्रयास किया गया और रूढ़िवादी प्रेस द्वारा उनकी कार्रवाई को प्रोत्साहित किया गया। यह उनके सामान्य मानवाधिकारों की रक्षा के लिए था, जिसके लिए अछूतों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था और पिछले दिसम्बर में लगभग 10,000 लोग एकत्रित हुए, इनका एक सम्मेलन हुआ तथा सर्वसम्मति से तालाब तक यात्रा करने का संकल्प लिया गया। परंतु हिन्दू जाति के रूढ़िवादियों, ने जिन्हें इस संकल्प का पता चल गया था, तालाब का उपयोग कर रहे अछूतों के विरुद्ध इस आधार पर कि यह किसी श्री चौधरी और स्पृश्य वर्ग की निजी संपत्ति है, महाद के उप-न्यायाधीश ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। प्राधिकारियों से यह राहत प्राप्त करने के बाद स्पृश्यों ने सोचा कि उन्होंने सरकार और अछूतों पर वर्चस्व प्राप्त कर लिया है। डॉ. अम्बेडकर ने तत्काल इस चाल को जान लिया। परंतु सिविल मुकदमे के निपटाए जाने तक सत्याग्रह स्थगित करने का निर्णय लिया। यह मुकदमा महाद के उप-न्यायाधीश श्री वैद्य के समक्ष दिनांक 23 फरवरी, 1928 को सुनवाई के लिए आया और डॉ. अम्बेडकर ने अपनी विलक्षण बहस से न केवल निषेधाज्ञा रद्द कराई बल्कि न्यायाधीश को सार्वजनिक तालाब के प्रयोग के उनके अधिकार की सहभाविकता से भी आश्वस्त किया। चूंकि पाबंदी हटा दी गई है इसलिए अब तालाब को बंबई विधान परिषद के संकल्प के अनुसार सार्वजनिक प्रयोग के लिए खोला जाना है।

“जातियों को दूर करना बंबई में सर्वजाति रात्रि भोज”

दामोदर ठाकरसे हॉल, परेल में 5 तारीख को समाज-समता संघ (सामाजिक समानता लीग) के तत्वावधान में सर्वजाति रात्रि भोज आयोजित किया गया।

इस रात्रि भोज में तथाकथित 50 अछूतों सहित विभिन्न जातियों के लगभग 1500 व्यक्तियों ने भाग लिया। श्री डी. वी. नायक, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर के संपादक और लीग के उपाध्यक्ष ने

अतिथियों का यह कहते हुए स्वागत किया कि लीग द्वारा ऐसे रात्रि भोजों का आयोजन जाति के बंधनों को जिसने सामान्यतया भारतीय राष्ट्र और विशेषतया हिन्दू समाज को विभाजित और विघटित किया है, दूर करने के लिए किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि परस्पर मेलजोल और परस्पर भोजन के माध्यम से ही जाति प्रथा की बुराई नष्ट की जा सकती है और समान स्तर पर आधारित एक नया समाज विकसित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि वे सभी न केवल अपरिहार्य आवश्यकता (आपद-धर्म) के कारण बल्कि एक निश्चित प्रयोजन और उस कठोर प्रथा की जिसने प्रेम और भाईचारे की ऐसी स्वीकृतियों को अस्वीकार और निषिद्ध किया है, असहनीय बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूर्ण जानकारी और संकल्प से वहां एकत्र हुए थे।

उन्होंने अतिथियों को आश्वस्त किया कि अपने विद्वान अध्यक्ष डा. अम्बेडकर के योग्य मार्गनिर्देशन में लीग सदैव उन लोगों का स्वागत और सहायता करेगी, जो अद्वितीय साहस के साथ स्वयं तथा राष्ट्र को वर्तमान अमानवीय जाति-पीड़ित समाज से मुक्त करने के लिए आगे आएंगे।

अम्बेडकर : हर कोई जानता है कि मुसलमान और सिख अछूतों की अपेक्षा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिक उन्नत हैं। गोल मेज सम्मेलन के प्रथम सत्र ने मुसलमानों की मांगों को राजनीतिक मान्यता दी है और उसने उनके लिए राजनीतिक रक्षापायों की सिफारिश की है। कांग्रेस ने उनकी मांगों पर सहमति दी है। प्रथम सत्र ने दलित वर्गों के राजनीतिक रक्षापायों और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। हमारे अनुसार वह दलित वर्गों के लिए लाभदायी है। आपकी क्या राय है?

गाँधी : मैं हिन्दुओं से अछूतों के राजनीतिक पृथक्करण के विरुद्ध हूँ। वह पूर्णतः घातक होगा।

अम्बेडकर (उठते हुए) मैं स्पष्ट राय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यह अच्छी बात है कि मैं अब जानता हूँ कि हम इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में किस स्थिति में हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ।

“डॉ. अम्बेडकर की श्री गाँधी से मुलाकात”

दलित वर्ग के नेता डॉ. अम्बेडकर ने शुक्रवार अपराह्न में श्री गाँधी से मुलाकात की। उन्होंने श्री गाँधी को अपनी इस बात से अवगत कराने का प्रयास किया कि कांग्रेस ने अभी तक दलित वर्गों

के लिए प्रत्यक्ष में कुछ नहीं किया है और श्री गाँधी यह कल्पना करने के भ्रम में हैं कि लोगों के प्रतिनिधि के रूप में दलित वर्ग उनके पीछे है। श्री गाँधी ने यह नहीं माना कि कांग्रेस ने दलित वर्गों के लिए कुछ भी नहीं किया था अथवा कुछ भी नहीं कर रही है। डॉ. अम्बेडकर अंततः श्री गाँधी को आश्वस्त किए बिना अथवा उनके द्वारा आश्वस्त हुए बिना चले गए।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका अछूतों को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर लाने और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला रखने में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की भूमिका

“वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान था, जिसके अनुसार संविधान के कार्य करणी की जांच करने और जैसा आवश्यक पाया जाए ऐसे परिवर्तन पर रिपोर्ट करने के लिए दस वर्षों के अंत में एक रायल कमीशन नियुक्त करने के लिए महामहिम सम्राट की सरकार पर दायित्व सौंपा गया था। तदनुसार, वर्ष 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक रायल कमीशन नियुक्त किया गया। भारतीयों की आशा थी कि वह कमीशन एक मिश्रित कमीशन होगा। परंतु लॉर्ड बर्केनहेड, जो भारत के लिए तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारतीयों को शामिल करने के विरुद्ध थे और उन्होंने इसे विशुद्ध संसदीय कमीशन बनाने पर जोर दिया। इस पर कांग्रेस और उदारवादियों ने अत्यधिक, प्रतिरोध प्रकट किया और इसे अपमान माना। उन्होंने कमीशन का बॉयकाट किया और उसके विरुद्ध आंदोलन किया। विरोध की इस भावना को शांत करने के लिए महामहिम सम्राट की सरकार द्वारा घोषणा की गई कि कमीशन का कार्य पूरा हो जाने के बाद नए भारत के नए संविधान के विषय में काम करने से पूर्व प्रतिनिधि भारतीयों को चर्चा के लिए बुलाया जाए। इस घोषणा के अनुसार प्रतिनिधि भारतीय को संसद के प्रतिनिधियों और महामहिम सम्राट की सरकार के साथ गोल मेज सम्मेलन में लंदन बुलाया गया।

संदर्भ ग्रंथ

1. बाबासाहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 35, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, प्रथम संस्करण 2019
2. वही पृष्ठ संख्या 3

3. वही पृष्ठ संख्या 4
4. वही पृष्ठ संख्या 21
5. वही पृष्ठ संख्या 22
6. वही पृष्ठ संख्या 23
7. वही पृष्ठ संख्या 36
8. वही पृष्ठ संख्या 42
9. द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 15 अगस्त 1931
10. लेख और भाषण, खंड 9 पृष्ठ संख्या 40